न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 207 / 2018

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1जयप्रकाश पुत्र बुधाराम (फौत) के कायममुकामान 1/1 जानकी बेवा जयप्रकाश 1/2 हुक्माराम पुत्र जयप्रकाश 1/3 नाथी पुत्री जयप्रकाश 1/4 कृष्णा पुत्री जयप्रकाश 2रूपाराम पुत्र बुधाराम जातियान कुम्हार निवासीगण मुण्डवा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		1परसाराम पुत्र पूनाराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डवा हाल निवासी 1264 पटटी वीरा नाथना तहसील व जिला भटिण्डा, पंजाब। 2श्रवण कुमार पुत्र अणदाराम जाति कुम्हार निवासी बागोरिया तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर। 3राकेश भाटी पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी संखवास तहसील मुण्डवा जिला नागौर। 4पुखराज कुमार पुत्र नैनाराम जाति कुम्हार निवासी कानपुरा बस्ती नोखा जिला बीकानेर। 5तहसीलदार मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री कन्हैयालाल सुथार अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री बाबू लाल भादू अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।
4. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 04.10.2022

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा मौजा मुण्डवा के नामान्तरकरण सं. 3444 दिनांक 09.08.2018 स्वीकार करने के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 10.09.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 17.09.2018 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स सं. 1, 3 व 4 बावजूद सूचना के न्यायालय मे गैर हाजिर रहे है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से श्री बाबू लाल भादू अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में आदेश नामान्तरकरण सं. 3444 की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर नागौर मे प्रस्तुत वाद की फोटोप्रति पेश की गई। अपील के विचाराधीन रहते हुए वकील श्री कन्हैयालाल सुथार ने एक प्रार्थना पत्र अधीन धारा 22 नियम 3 सीपीसी अपीलांट जयप्रकाश का निधन हो जाने से उनको कायममुकाम को पक्षकार जोडे जाने बाबत् दिनांक 18.12.21 पेश कर साथ ही इनके कायममुकाम का वकालतनामा पेश किया जिसपर वकील रेस्पोडेन्ट ने अनापति जाहिर की, जिससे स्व. जयप्रकाश के कायम मुकाम जानकी बेवा जयप्रकाश, हुक्माराम पुत्र जयप्रकाश, नाथी पुत्री जयप्रकाश तथा कृष्णा पुत्री जयप्रकाश जातियान कुम्हार निवासीगण मुण्डवा तहसील मुण्डवा बतौर पक्षकार अपीलांट्स रेकर्ड पर लिया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–म्यूटेशन जैर अपील तथ्यो व विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(II)–वादग्रस्त खेताय खसरा नं. 881, 882, 897, 2024 मौजा मुण्डवा के बाबत बंटवाडा घोषणा खातेदारी आदि का वाद अपीलांटस द्वारा किया हुआ वाद सं. (115/09) 156/16 सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर के न्यायालय मे लंबित है, जो सन 2009 से चल रहा है वाद लंबित रहने के दौरान किसी पक्षकार को कोई भूमि विक्रय करने का भी हक नही है, यदि विक्रय किया जाता है तो दावा के फैसला से क्रेता बाधित रहेगा, ऐसी दशा मे दौराने दावा राजस्व रेकर्ड मे परिवर्तन कराने व क्रयसुदा भूमि का नामान्तरकरण कराने का कोई अधिकार पक्षकारो को नही है। प्रकरण हाजा मे परसाराम ने सीताराम पुत्र गंगाराम का गोद पुत्र बनकर अपने नाम से जो म्यूटेशन कराया है, वह स्वयं ही विधि विरूद्व व शून्य है, ऐसी दशा मे उक्त म्यूटेशन के जरिये कोई हक ही परसाराम को प्राप्त नही हुए, महज राजस्व रिकार्ड मे गलत इन्द्राजी है, जिसके आधार पर किया गया बेचान भी प्रभावहीन व शून्य है।

स्व. सीताराम पुत्र गंगाराम की सम्पति का कौन हकदार होगा, कितने हिस्से का हकदार होगा, ये सब नियमित चल रहे राजस्व वाद मे निर्णीत होना है, ऐसी दशा मे दौरान दावा किये गये बेचान के आधार पर म्यूटेशन जैर अपील विधि विरूद्व है, जो निरस्त किया जाना न्यायोचित है। वाद के द्वारा हक तय होने तक राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन नही किया जाकर रिकार्ड पूर्ववत बहाल रखा जाना न्याय हित मे है।

{2}(III)–म्यूटेशन जैर अपील के जरिये राजस्व रिकार्ड मे रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3 व 4 को प्रत्येक को राजस्व रिकार्ड मे 12/105 हिस्सा के खातेदार दर्ज कर दिये, जबकि विक्रेता स्वयं का हिस्सा ही वाद मे निर्णीत होना शेष है, विक्रेता परसाराम को सीताराम का गोद पुत्र करार कर उसके नाम म्यूटेशन भरा गया, वह भी अपीलाधीन है तथा वाद लंबित है, जिसमे हिस्सा व बंट तय होना है, ऐसी दशा मे म्यूटेशन जैर अपील गलत व विधि विरूद्व है, दौराने दावा न तो राजस्व रिकार्ड मे तब्दीली किया जाना उचित है, न ही हिस्साकसी दर्ज करना ही उचित है, जो भी बेचान के जरिये भरे गये म्यूटेशन के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे तब्दीली की गई है, वह म्यूटेशन जैर अपील निरस्त कर राजस्व रिकार्ड मे किया गया परिवर्तन निरस्त कर राजस्व रिकार्ड पूर्ववत वाद निर्णय तक यथावत रखा जाना न्याय हित मे है, ऐसी दशा मे म्यूटेशन जैर अपील निरस्त किया जाना चाहिये।

{2}(IV)–विक्रेता परसाराम व अपीलार्थीगण के मध्य राजस्व वाद हक तय कराने व बंटवाडा का वाद लंबित है, परसाराम रेस्पोन्डेट ने बिना हक व बंट तय कराये ही दौराने वाद अपनी मर्जी अनुसार गलत हिस्सा दर्ज करवाकर बेचान रेस्पोडेन्ट सं. 2 को बेचान कर दिया व उक्त अनुसार ही म्यूटेशन जैर अपील भरकर राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर दिया, ऐसी दशा मे गलत बने राजस्व रिकार्ड के आधार पर फिर पक्षकार बेचान कर देगे व बाहुबली क्रेता जबरन कब्जा छीनने को प्रयास करेगे, ऐसी दशा मे वाद बाहुल्यता होना तय है तथा पक्षकारो को हको के लिये आपसी झगडे फिसाद मे धकलेने जैसी स्थिति पैदा हो जावेगी। ऐसी दशा मे वाद लंबित रहने के दौरान विक्रय के आधार पर भरा गया म्यूटेशन जैर अपील निरस्त किया जाने योग्य होने से म्यूटेशन जैर अपील निरस्त किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड पूर्ववत ताफैसला वाद बनाये रखा जाने की आज्ञा दिया जाना न्याय हित मे है।

{2}(V)–म्यूटेशन जैर अपील की कार्यवाही के दौरान अपीलांटस को कोई नोटिस नही दिया, न ही अपीलांटस को पक्षकार बनाया, न ही अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिया। अपीलांटस को स्व. सीताराम की सम्पति को उतराधिकार के जरिये प्राप्त करने का दावा कर रखा है जो अभी लंबित है ऐसी दशा मे अपीलाधीन म्यूटेशन से अपीलांटस के हको पर विपरीत प्रभाव पडा है, ऐसी दशा मे अपीलांटस ने अपील पेश की तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2011 (2) पेज 907 से 912, आरआरटी 2009 (2) पेज 816 से 818 तथा आरआरडी 1994 पेज 77 से 79, आरआरटी 2012(2) पेज 1412 से 1417 व आरआरटी 2003(1) पेज 47 से 54 नजीरे पेश की।

{3}–रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा बहस मे हिस्सा लेते हुए बताया कि –

{3}(I)–अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील विधि के प्रावधानो के विपरीत एवं बिना प्रावधान के तहत की गई है। क्योकि नामान्तरकरण अपील जिला कलक्टर / अपर जिला कलक्टर के पास तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्व धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की जाती है जबकि अपीलांटस द्वारा उपरोक्त अपील धारा 75 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई है जिसमे ऐसी अपील पेश करने का कोई प्रावधान नही है। इसलिये प्रथम दृष्टया अपीलांटस की अपील चलने योग्य नही होने से खारिज फरमायी जावे।

अपर कलक्टर, नागौर

अपीलाधीन आदेश एक आदेश की श्रेणी मे आता है डिक्री की श्रेणी मे नही आता है। आदेशो के विरुद्व अपील पेश करने के लिये 104 सीपीसी के तहत आवेदन पेश किया जाता है। उपरोक्त प्रावधान का विवेचन करने से स्पष्ट है कि अपीलांटस की अपील बिना कानून के बिना आधार के कानून विपरीत पेश की गई होने से चलने योग्य नही है। प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(VIII)–अपीलांटस तीन भाई है। जयप्रकाश, रूपाराम व भंवरलाल पुत्रगण बुधाराम अपीलांटस अपने आपको अपीलाधीन आदेशो की खसरान की भूमि का हितबद्व हिस्सेदार व प्रभावित पक्षकार मानकर अपील पेश की गई हैं जबकि अपने सगे भाई भंवरलाल को पक्षकार नही बनाया गया है। अगर अपीलांटस इसमे हितबद्व पक्षकार है तो उसका भाई भंवरलाल आवश्यक व हितबद्व पक्षकार है उसको पक्षकार बनाने से आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नही बनाने से अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(IX)–अपीलाधीन आदेश मे प्रभावित खसरा नं. 881, 882, 897, 2024 कुल रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा सरहद मुण्डवा मे 1/3 हिस्से का हिस्सेदार खातेदार सीताराम था जिसने बख्सीसनामा / दान पत्र के आधार पर अपना संपूर्ण हिस्सा दिनांक 16.1.78 को परसाराम के पक्ष मे लिखकर पंजीबद्व करवा दिया था। जो अपील व दावे से पूर्व करवा दिया था तथा अपीलांटस ने कुचेष्टा पूर्वक सीताराम का हिस्सा हडपने की नियत से अपील पेश की तथा सीताराम द्वारा अपने जीवनकाल मे ही अपना संपूर्ण हिस्सा परसाराम के पक्ष मे दान/बख्सीस कर देने से इसमे अन्य किसी सहखातेदार व भाई बंधु का हिस्सा नही बनता है तथा उसके आधार पर उसने आगे बेचान कर नामान्तरकरण तस्दीक करवा दिया गया जिसमे विधि की किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही रही है। इसलिये भी अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(X)–अपीलांटस ने अपील सं. 206/18 मे तहसीलदार मुण्डवा द्वारा प्रकरण सं. 30/18 कायम कर संबंधित पक्षकारो को सुना जाकर एवपं उनको नोटिस दिया जाकर सीताराम पुत्र पूनाराम के नाम जो नामान्तरकरण गोदनामा बाबत तस्दीक किया गया वो बाद जांच बाद सुनवायी, बाद साक्ष्य अपना आदेश पारित किया गया जो विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया। जिसमे अपीलांटस का कोई हक हिस्सा प्रभावित नही होता है न ही वो उसमे आवश्यक पक्षकार था इसलिये उसको सुनवायी का अवसर दिया जाना उचित नही था अगर उक्त पत्रावली के आदेश से अपीलांटस व्यथित था तो उसकी अपील माननीय राजस्व मंडल अजमेर मे होती है ऐसी अपील नही की है। इसलिये उक्त पत्रावली के आदेश को आधार मानकर अपील पेश की गई जो क्षेत्राधिकार के बाहर होने से अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(XI)–अपीलाधीन आदेश के तहत संबंधित गोदनामा, बख्शीसनामा दान पत्र विक्रय पत्र इत्यादि का अंकन करते हुए अपीलांटस ने अपील पेश की है तथा विक्रय पत्र के संबंध मे सुशीला बनाम परसाराम सिविल वाद सं. 130/18 सिविल जज नागौर व वाद सं. 188/18 मनीराम बनाम धर्माराम सिविल जज नागौर तथा राजस्व वाद सहायक कलक्टर मुख्यालय मे विचाराधीन है ऐसी स्थिति मे अपील मे किसी प्रकार का हिस्सा आधार व हक नही माना जा सकता है। अपील केवल मात्र फिस्कल प्रोसिडिग है। जिसमे किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत नही लिया जाता है तथा वाद विचाराधीन होने की स्थिति मे कानूनी रूप से अपील चलने योग्य नही है। इसलिये भी अपीलांटस की अपील खारिज की जावे।

{3}(XII)–अपील मे किसी प्रकार का आधार मानकर आदेश प्रदान किया जाता है तो वो वाद की बाहुल्यता बढेगी एव राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय मे चल रहे वाद प्रभावित होगे ऐसी स्थिति मे अपील को कानूनी प्रावधान उच्च न्यायालयो के सिद्वान्त के आधार पर चलना नही माना है तथा अपील मे निर्णय करने की बाध्यता के सिद्वान्त प्रतिपादित कर अपील को रोकने व अपास्त करने के सिद्वान्त प्रतिपादित किया है। इस आधार पर भी अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(XIII)–अपीलाटस द्वारा किसी भी विक्रय पत्र गोदनामा बख्सीसनामा इत्यादि को सक्षम न्यायालय मे चेलेन्ज नही किया गया है इससे साफ जाहिर है कि अपीलांटस साफ हाथो से एवं स्वच्छ अपील पेश नही की गई है। केवल मात्र न्यायालय को गुमराह कर रेस्पो. पर दबाव डालकर येनकेन प्रकारेण सीताराम का जो हिस्सा परसाराम को विधि अनुसार प्राप्त हुआ है उसको प्राप्त करने की कुचेष्टा की गई है इस आधार पर भी अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{4}–राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि नामान्तरकरण जैर अपील विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए भरा गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

अपर कलक्टर, नागौर

अपीलाधीन आदेश एक आदेश की श्रेणी मे आता है डिक्री की श्रेणी मे नही आता है। आदेशो के विरूद्व अपील पेश करने के लिये 104 सीपीसी के तहत आवेदन पेश किया जाता है। उपरोक्त प्रावधान का विवेचन करने से स्पष्ट है कि अपीलांटस की अपील बिना कानून के बिना आधार के कानून विपरीत पेश की गई होने से चलने योग्य नही है। प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(VIII)–अपीलांटस तीन भाई है। जयप्रकाश, रूपाराम व भंवरलाल पुत्रगण बुधाराम अपीलांटस अपने आपको अपीलाधीन आदेशो की खसरान की भूमि का हितबद्व हिस्सेदार व प्रभावित पक्षकार मानकर अपील पेश की गई हैं जबकि अपने सगे भाई भंवरलाल को पक्षकार नही बनाया गया है। अगर अपीलांटस इसमे हितबद्व पक्षकार है तो उसका भाई भंवरलाल आवश्यक व हितबद्व पक्षकार है उसको पक्षकार बनाने से आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नही बनाने से अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(IX)–अपीलाधीन आदेश मे प्रभावित खसरा नं. 881, 882, 897, 2024 कुल रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा सरहद मुण्डवा मे 1/3 हिस्से का हिस्सेदार खातेदार सीताराम था जिसने बख्सीसनामा / दान पत्र के आधार पर अपना संपूर्ण हिस्सा दिनांक 16.1.78 को परसाराम के पक्ष मे लिखकर पंजीबद्व करवा दिया था। जो अपील व दावे से पूर्व करवा दिया था तथा अपीलांटस ने कुचेष्टा पूर्वक सीताराम का हिस्सा हडपने की नियत से अपील पेश की तथा सीताराम द्वारा अपने जीवनकाल मे ही अपना संपूर्ण हिस्सा परसाराम के पक्ष मे दान/बख्सीस कर देने से इसमे अन्य किसी सहखातेदार व भाई बंधु का हिस्सा नही बनता है तथा उसके आधार पर उसने आगे बेचान कर नामान्तरकरण तस्दीक करवा दिया गया जिसमे विधि की किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही रही है। इसलिये भी अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(X)–अपीलांटस ने अपील सं. 206/18 मे तहसीलदार मुण्डवा द्वारा प्रकरण सं. 30/18 कायम कर संबंधित पक्षकारो को सुना जाकर एवपं उनको नोटिस दिया जाकर सीताराम पुत्र पूनाराम के नाम जो नामान्तरकरण गोदनामा बाबत तस्दीक किया गया वो बाद जांच बाद सुनवायी, बाद साक्ष्य अपना आदेश पारित किया गया जो विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया। जिसमे अपीलांटस का कोई हक हिस्सा प्रभावित नही होता है न ही वो उसमे आवश्यक पक्षकार था इसलिये उसको सुनवायी का अवसर दिया जाना उचित नही था अगर उक्त पत्रावली के आदेश से अपीलांटस व्यथित था तो उसकी अपील माननीय राजस्व मंडल अजमेर मे होती है ऐसी अपील नही की है। इसलिये उक्त पत्रावली के आदेश को आधार मानकर अपील पेश की गई जो क्षेत्राधिकार के बाहर होने से अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(XI)–अपीलाधीन आदेश के तहत संबंधित गोदनामा, बख्शीसनामा दान पत्र विक्रय पत्र इत्यादि का अंकन करते हुए अपीलांटस ने अपील पेश की है तथा विक्रय पत्र के संबंध मे सुशीला बनाम परसाराम सिविल वाद सं. 130/18 सिविल जज नागौर व वाद सं. 188/18 मनीराम बनाम धर्माराम सिविल जज नागौर तथा राजस्व वाद सहायक कलक्टर मुख्यालय मे विचाराधीन है ऐसी स्थिति मे अपील मे किसी प्रकार का हिस्सा आधार व हक नही माना जा सकता है। अपील केवल मात्र फिस्कल प्रोसिडिग है। जिसमे किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत नही लिया जाता है तथा वाद विचाराधीन होने की स्थिति मे कानूनी रूप से अपील चलने योग्य नही है। इसलिये भी अपीलांटस की अपील खारिज की जावे।

{3}(XII)–अपील मे किसी प्रकार का आधार मानकर आदेश प्रदान किया जाता है तो वो वाद की बाहुल्यता बढेगी एव राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय मे चल रहे वाद प्रभावित होगे ऐसी स्थिति मे अपील को कानूनी प्रावधान उच्च न्यायालयो के सिद्वान्त के आधार पर चलना नही माना है तथा अपील मे निर्णय करने की बाध्यता के सिद्वान्त प्रतिपादित कर अपील को रोकने व अपास्त करने के सिद्वान्त प्रतिपादित किया है। इस आधार पर भी अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(XIII)–अपीलाटस द्वारा किसी भी विक्रय पत्र गोदनामा बख्सीसनामा इत्यादि को सक्षम न्यायालय मे चेलेन्ज नही किया गया है इससे साफ जाहिर है कि अपीलांटस साफ हाथो से एवं स्वच्छ अपील पेश नही की गई है। केवल मात्र न्यायालय को गुमराह कर रेस्पो. पर दबाव डालकर येनकेन प्रकारेण सीताराम का जो हिस्सा परसाराम को विधि अनुसार प्राप्त हुआ है उसको प्राप्त करने की कुचेष्टा की गई है इस आधार पर भी अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{4}–राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि नामान्तरकरण जैर अपील विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए भरा गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

अपर कलक्टर, नागौर

{5}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में मौजा मुण्डवा के नामान्तरकरण सं. 3444 दिनांक 09.08.2018 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है। जहां पक्षकारो के स्वत्व अधिकार निर्णीत नही किये जा सकते है। स्वत्व निर्धारण हेतु नियमित न्यायालय मे वाराजोही की जानी चाहिये।

{6}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{7}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर